प्राक्कथन

भारत के नियंत्रक-महालेखापरीक्षक का यह प्रतिवेदन भारत के संविधान के अनुच्छेद 151 के अन्तर्गत उत्तर प्रदेश के राज्यपाल को प्रस्तुत करने के लिए तैयार किया गया है।

प्रतिवेदन में उत्तर प्रदेश सरकार के भूतत्व एवं खनिकर्म विभाग, उत्तर प्रदेश सरकार में सम्पादित ''उत्तर प्रदेश में खनन और अवैध खनन के सामाजिक–आर्थिक प्रभाव'' पर निष्पादन लेखापरीक्षा के महत्वपूर्ण परिणाम शामिल हैं। इस प्रतिवेदन में मोतीलाल नेहरू राष्ट्रीय प्रौद्योगिकी संस्थान इलाहाबाद, प्रयागराज की सहायता से सम्पादित एक अध्ययन आख्या भी शामिल है।

इस प्रतिवेदन में वर्णित दृष्टान्त वे हैं जो 2017–18 से 2021–22 की अवधि की नमूना लेखापरीक्षा के दौरान प्रकाश में आए और साथ ही वे जो पहले के वर्षों में संज्ञान में आए थे लेकिन विगत लेखापरीक्षा प्रतिवेदन में प्रतिवेदित नहीं किए जा सके थे। जहाँ भी आवश्यक हुआ, 2021–22 के बाद की अवधि से सम्बन्धित दृष्टान्तों को भी शामिल किया गया है।

भारत के नियंत्रक-महालेखापरीक्षक द्वारा जारी लेखापरीक्षण मानकों के अनुरूप लेखापरीक्षा सम्पादित की गयी है।